



अडानी-हिंडनघर मामले में आदेश सुरक्षित

'आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू
आदिवासियों-मूलवासियों के साथ
हमेशा खड़ी है सरकार: हेमंत सोरेन

- मुख्यमंत्री ने किया कार्यक्रम का शुभांग
- योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्वास और परिसंपत्ति का भी हुआ वितरण

सुनील कुमार गौतम

बरहेट, साहिबगंज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अमर वीर शहीदों को श्रद्धा 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार' अभियान के तीसरे चरण का शुक्रवार को शुभार्थ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी तमाम कल्याणकारी योजनाओं की पोली बनाकर आपके द्वारा जाएं एवं पूरे मान-सम्मान के साथ आपको आपका हक-अधिकार दें। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन के आदिवासियों का रिश्ता बाही पुराना है। लेकिन उन्होंने इस अधिकार से हमेशा वीचत करने का प्रयास होता रहा। हमारी सरकार ने अबुआ वीर दिशोम योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से आदिवासियों को वायाधिकार पट्टा दिया जा रहा है। हमारी सरकार आदिवासियों और मूलवासियों के साथ हमेशा खड़ी है। हमारी सरकार ने अबुआ वीर दिशोम योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से आदिवासियों को वायाधिकार पट्टा दिया जा रहा है। हमारी सरकार आदिवासियों और मूलवासियों के साथ हमेशा खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लाने वाले शिविरों में मिलने वाले एक-एक आदेश दिवार्ड किये जायेंगे और संविधित आवेदकों को नोटीफिकेशन देंगे। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जायेगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का विवरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रवाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।



विदेश में पढ़ने का सप्ना हो रहा है साकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य के अदिवासी, दरिति अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सप्ना साकार हो रहा है।

हमारी सरकार इन विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए शत-प्रतिशत स्कॉलरशिप दे रही है।

दूसरी तरफ गुरुजी स्टूडेंस केंडिट कार्ड के माध्यम से यहां के जरूरतमंडल विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्स करने के लिए मदद देने का काम कर रही है। इसके अलावा वाच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए स्कूल आप एक्सीलेन्स खोले गये हैं। तमाम सरकारी विद्यालयों को सासाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी छात्राओं को जीणद्वारा करने के साथ याहां के रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अनाज और रसोई का साथ सुरक्षा की भी व्यवस्था सरकार करेगी।

शिविर में मिलने वाले आवेदन रजिस्टर्ड किये जायेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लाने वाले शिविरों में मिलने वाले एक-एक आदेश रजिस्टर्ड किये जायेंगे और संविधित आवेदकों को नोटीफिकेशन देंगे। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जायेगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का विवरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रवाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लाने वाले एक-एक आदेश रजिस्टर्ड किये जायेंगे और संविधित आवेदकों को नोटीफिकेशन देंगे। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जायेगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का विवरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रवाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लाने वाले एक-एक आदेश रजिस्टर्ड किये जायेंगे और संविधित आवेदकों को नोटीफिकेशन देंगे। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जायेगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का विवरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रवाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लाने वाले एक-एक आदेश रजिस्टर्ड किये जायेंगे और संविधित आवेदकों को नोटीफिकेशन देंगे। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जायेगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का विवरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रवाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लाने वाले एक-एक आदेश रजिस्टर्ड किये जायेंगे और संविधित आवेदकों को नोटीफिकेशन देंगे। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जायेगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का विवरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रवाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लाने वाले एक-एक आदेश रजिस्टर्ड किये जायेंगे और संविधित आवेदकों को नोटीफिकेशन देंगे। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जायेगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का विवरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रवाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लाने वाले एक-एक आदेश रजिस्टर्ड किये जायेंगे और संविधित आवेदकों को नोटीफिकेशन देंगे। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जायेगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का विवरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रवाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लाने वाले एक-एक आदेश रजिस्टर्ड किये जायेंगे और संविधित आवेदकों को नोटीफिकेशन देंगे। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जायेगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का विवरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रवाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लाने वाले एक-एक आदेश रजिस्टर्ड किये जायेंगे और संविधित आवेदकों को नोटीफिकेशन देंगे। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जायेगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का विवरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रवाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लाने वाले एक-एक आदेश रजिस्टर्ड किये जायेंगे और संविधित आवेदकों को नोटीफिकेशन देंगे। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जायेगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का विवरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रवाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लाने वाले एक-एक आदेश रजिस्टर्ड किये जायेंगे और संविधित आवेदकों को नोटीफिकेशन देंगे। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जायेगी। हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का विवरण होगा। इस श

राजनीतिक संट है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग

- नीतीश की इस मांग का उद्देश्य केवल अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना है
 - बिहार से पहले तो झारखण्ड को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा
 - बिहार को विशेष राज्य से अधिक एक कुशल और सक्षम सरकार की जरूरत है

पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, लेकिन इस बार उनकी मांग को राजनीतिक स्टंट के रूप में ही लिया जा रहा है। लोग अब नीतीश कुमार की इस मांग की हकीकत से परिचित हो चुके हैं। उनका कहना है कि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की मांग उठाना जरूरत से अधिक राजनीतिक ही है और इससे भी अधिक कि यह मांग एक ऐसे नेता द्वारा की जा रही है, जो 18 साल से सीएम है। अब लोगों ने यह कहना



राकेश सिंह

करती रही। जब केंद्र में एनडीए सत्ता में आयी, तब भी नीतीश ने 2015 के राज्य चुनावों के दौरान इस मांग को आगे बढ़ाया। हालांकि, एक बार जब उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन किया, तो उनकी मांग की तीव्रता कम हो गयी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू-एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। अब जब नीतीश एनडीए से अलग हो गये हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उन्होंने एक बार फिर विशेष दर्जे की मांग उठा दी है।

क्या है इस मांग के प्रति आम भावना

लाकसभा चुनाव स पहल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। नीतीश की यह मांग नवी नहीं है। जब-जब चुनाव होता है या नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं, तब-तब वह इस मुद्दे को उठाते हैं। उन्होंने विशेष दर्जे की मांग को लेकर 2012 में पटना में एक रैली आयोजित की थी। उस रैली के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से अन्य पिछड़े राज्यों को भी यह दर्जा देने का आग्रह किया। इसके बाद इस मांग को लेकर एक अधियान चलाया गया और दिल्ली के रामलीला मैदान में रैलियां निकाली गयीं। हालांकि, यूपीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नीतीश की मांग को नजरअंदाज

नीतीश कुमार की इस मांग को लेकर बिहार के विपक्षी दल ही नहीं, लोग भी बहुत उत्साहित नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को ही अमान्य कर दिया है। यह बात भी गैर करने लायक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष दर्जे के लाभों को पार करते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से बिहार को पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहे हैं। वहां यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिंदंबरम ने भी रघुराम राजन कमेटी बना कर विशेष

राजनीतिक हलचल

राजस्थान में चुनाव आजः सत्ता बदलेगी या रिवाज!



हैं। वह तीन बार इस सीट से जीत कर मुख्यमंत्री बने हैं। सीएम अशोक गहलोत को टक्कर देने के लिए भाजपा ने अपने दिग्गज नेता डॉ. महेंद्र राठौड़ को चुनावी जंग में उतारा है। बता दें कि राठौड़ जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि, कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने रिझाइन कर दिया था। वर्ही राजस्थान की झालरापाटन विधानसभा एक बेहद चर्चित सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे की यह पारंपरिक सीट है। वसुंधरा इस बार भी झालरापाटन से ही चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने उनके सामने रामलाल चौहान को मैदान में उतारा है। अब बात करते

दर्जे की मांग को खारिज कर दिया था। लोग कह रहे हैं कि जब वह विषेश में थे, तो उन्होंने केंद्रीय परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन में बाधा डाली और अब चुनाव नजदीक आते ही केंद्र सरकार की छवि खराब करने के लिए विशेष दर्जे की मांग का राजनीतिकरण कर रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 18 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद यदि नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है, तो यह सरकार की विफल नीतियों को उत्ताप्ने करता है। लोगों को यह भी याद है कि जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने जनता से पांच साल का समय मांगा था। दूसरी बार फिर उन्होंने बिहार को संवारने के लिए पांच साल का समय मांगा। अब तो 18 साल हो गये। ऐसे में अब भी अगर बिहार संवर नहीं पाय और उसे केंद्र से विशेष मदद कर जरूरत महसूस हो रही है, तो इसका अर्थ साफ है कि नीतीश के शासनकाल में बिहार कंजिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा तो इसमें विफलता किसकी है।

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4520 or via email at mhwang@uiowa.edu.

विकास में सबसे फीसड़ी है बिहार

अब एक नजर इस मांग की कीकत की। नीतीश कुमार ने ह मांग तब उठायी है, जब नीति भायोग की बैठक में बिहार को बबसे फेरीसड़ी राज्य घोषित किया था है। चारों तरफ नीतीश सरकार की आलोचना हो रही है। बुद्ध नीतीश कुमार भी इस मांग न औचित्य साबित नहीं कर पा हे हैं कि बिहार को विशेष राज्य दर्जे की जरूरत है। उनका एक तो तर्क है कि बिहार के विभाजन बाद झारखण्ड के पास सारे बिहार की जनता से अगर विशेष राज्य देता, तो बिहार में भी गंगा बहने लगती। सबल उठना लाजर्म विशेष राज्य के दर्जे तभी क्यों बाहर निकलनी तीश कुमार एनडी होते हैं या विपक्ष में फिर सरकार में रहना राजनीतिक परेशानियों होते हैं। मतलब बिहार में यह विशे

Iजिससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह एक वास्तविक चिंता की बजाय एक राजनीतिक उपकरण के रूप में विकसित हो गया है। यह राज्य का दर्जा किसी राज्य बंड है, जिसके 23 साल पहले इन्होंने जितना खोया, उसके

छोटे से हिस्से की भी क्षतिपूर्ति नहीं की गयी है। इसके बावजूद झारखंड ने कभी इस तरह की मांग नहीं की, बल्कि धीरे-धीरे अपने संसाधनों के बल पर ही आगे बढ़ता रहा। इसलिए कहा जा सकता है कि बिहार को विशेष राज्य का नहीं, बल्कि एक कुशल और सक्षम प्रशासन की जरूरत है, त्योंकि पिछले 18 साल में तमाम खूबियों के बावजूद बिहार का शासन-प्रशासन एक तरह से जड़ हो गया है। क्या है नीतीश कुमार की मांग के पीछे की सियासत और इसकी पृष्ठभूमि, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राक्षश सिंह।

विषयालय

**बिहार को अच्छे
नेतृत्व की जरूरत है**


नीतीश कुमार वर्ष 2005 में वहली बार पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक करीब 18 वर्षों तक इस पद पर रह चुके हैं। बिहार के विकास की बातें करके उन्होंने अपने लिए मुशासन बाबू के नाम का तमगा भी हासिल किया है, पर विंडबंना यह है कि वह अब भी बिहार के विकास की बात ही किये जा रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के दूर नागरिक के विकास के लिए पांच वर्ष लगेंगे, लेकिन यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाये, तो यह काम दो वर्ष में ही हो जायेगा। यदि उनकी बात को शब्दशः लिया जाये, तो उनसे मूँछा जा सकता है कि यदि बिहार के हर नागरिक को विकसित होने में मात्र पांच वर्ष ही लगने हैं, तो यह काम अब तक तीन बार हो जाना चाहिए था, क्योंकि 18 वर्ष

जान प्राप्त हुआ बगह-बगरह, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये। इसलिए अब साफ है कि राज्य को विशेष दर्जा मिले या न मिले, नेतृत्व की उसकी आवश्यकता पक्की है। इस बात को लेकर किसी को कोई संशय नहीं है। दर्जा या दर्जा नहीं मिलना, संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल नेतृत्व की कुशलता पर निर्भर करेगा। आज बिहार को नेतृत्व देने वाले कैसे लोग हैं, इसे लेकर नीतीश कुमार के क्या विचार हैं, यह जानना भी आवश्यक है। बिहार का वर्तमान नेतृत्व पिछले एक वर्षों से अपनी पूरी ऊर्जा बिहार छोड़ देश का नेतृत्व संभालने में लगा रहा है। उसे कुछ पता ही नहीं कि राज्य में हो क्या रहा है। इसलिए आज बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से कहीं अधिक कुशल और सक्षम नेतृत्व की जरूरत है।

**हमें हर हिंदू तक पहुंचना होगा,
संपर्क साधना होगा : भागवत**

दुनिया को बनायेंगे आर्ट, साथी हिंदुओं के साथ संपर्क बनाइए हिंदू नि-स्वार्थ सेवा के मालते में दुनिया में अग्रणी हैं, यह हमारी

मोहन भागवत ने क्या कहा



भागवत ने कहा, आज का विश्व लङ्घकुड़ा रहा है। 2,000 साल से उन्होंने खुशी, आनंद और शांति लाने के लिए अनेक प्रयोग किये हैं। उन्होंने भौतिकवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद के प्रयोग किये हैं। उन्होंने अनेक धर्मों से जुड़े प्रयोग किये हैं। उन्हें भौतिक समृद्धि लिया गयी है, लोकिन संतोष नहीं है। उन्होंने कहा, कोविड महामारी के बाद उन्होंने पुनर्विचार करना शुरू किया। अब ऐसा लगता है कि वे यह सोचने में एकमत हैं कि भारत रास्ता दिखायेगा। भागवत ने कहा, हमें सभी के पास जाकर संपर्क करना होगा, उनसे जुड़ना होगा और अपनी सेवाओं से उन्हें अपनी ओर लाना होगा। हमारे पास उमंग है। हम निःस्वार्थ सेवा के मामले में दुनिया में अग्रणी हैं, यह हमारी परंपराओं और मूल्यों में है।

टीएसी की बैठक के बाद सीएनटी एक्ट पर आने लगे सुझाव बिना व्यापक विमर्श के सीएनटी में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध करेगी भाजपा : अरुण उरांव

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। भाजपा के विषय नेता और पूर्व आइपीएस कार्यकारी डॉ उरांव ने हेमंत सरकार पर निश्चान साधा। डॉ उरांव ने प्रेसवार्ता में कहा कि हेमंत सरकार सोची समझी रणनीति के तहत सीएनटी में संशोधन का प्रस्ताव ला रही है। इनकी मंथा अदिवासी समाज के कल्याण की नीति है। अदिवासी समाज के किसी सामाजिक धार्मिक संगठन पर ऐसा एक्ट में संशोधन की बात नहीं उठायी है। उरांवने कहा कि मुख्यमंत्री ने लगातार अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए गरीब अदिवासियों की जमीन को अपने और अपने परिवार के नाम करवाया है। रांची, रामगढ़, बोकारो से लेकर दुमका तक शिवू सोन-परिवार ने जमीन ली है। जो सीएनटी एसपीटी का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस अवैध जमीन के नियमतीकरण के लिए



- मुख्यमंत्री की मंथा साफ नहीं, अपने हित में चाहते हैं संशोधन
- अदिवासी जमीन का इस्तेमाल आवास निर्माण के लिए हो, व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं, खरीद-बिक्री की सीमा पांच से दस डिसमिल से अधिक न हो

टीएसी को हथियार बनाया है। उरांवने कहा कि टीएसी को हेमंत सरकार ने राज्यपाल की भूमिका हटा कर पहले ही अपने अधिकार में कर लिया है, ताकि अपने हिसाब से निर्णय कराया जा सके। उरांवने कहा कि चार वर्षों के बाद आज सीएनटी में संशोधन की बात नहीं उठायी है। जो सीएनटी एसपीटी का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस अवैध

कांग्रेस और राजद के लोग शामिल थे। उरांवने कहा कि हेमंत सरकार यदि परिवर्तन चाहती है, तो पहले इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्यापक विमर्श कराये, सीएनटी मामलों से जुड़े विधि विवेचनों से सलाह ले तभी संशोधन का प्रस्ताव लाये। आनन फानन में लाया गया प्रस्ताव जनजाति समाज को मंजूर नहीं होगा। उरांवने कहा कि सीएनटी एक

में संशोधन केवल आवास निर्माण के लिए ही दिये जाने तक विचारणीय हो तथा व्यावसायिक उपयोग की छूट नहीं दी जाये। उरांवने कहा कि पांच से 10 किलोमीटर की सीमा थाना पांच से 10 किलोमीटर जमीन खरीद का प्रस्ताव ही किया जाना चाहिए। प्रेसवार्ता में अनुसृत जनजाति मोर्चा के विदेशवर उरांव और रोशनी खलखो भी उपस्थित थे।

- ज्ञारखण्ड ने 1950 के जिला एवं थाना क्षेत्र के अधार पर सीएनटी जमीन की खरीद-बिक्री को मंजूरी दी तो इस शर्त के साथ कि इसका व्यावायिक इस्तेमाल न हो। खरीद-बिक्री की सीमा तय की जाये
- अब तक तमाम प्रावधानों के बाद नी ज्ञारखण्ड में अदिवासी जमीन का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है और सही अर्थों में कहा जाये तो अदिवासियों के हाथ से जमीन लूटी जा रही है।

तिकी ने कहा कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सीएनटी के संदर्भ में किस विधायक ने अपना व्यापक दुरुपयोग ही रहा है और सही अर्थों में कहा जाये तो आदिवासियों के हाथ से जमीन लूटी जा रही है। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बरसों पुराना यह कानून, बदली हुई परिवर्थितियों में कुछेक प्रावधानों के अंतर्गत अप्राप्यता ही चुका है और इस परिवर्धन में अवश्यक संशोधन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, परन्तु इस मामले में दो महत्वपूर्ण फलतुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ना तो वैसै जमीन का व्यापक स्तर पर व्यावसायिक इस्तेमाल हो और एक सीमा से अधिक इसकी खरीद-बिक्री को विकासार्थी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) में 1950 के वर्तमान ज्ञारखण्ड क्षेत्र में केवल सात जिले एवं तमाम प्रावधानों के बाद आधार बनाने के संबंधित आवश्यक संशोधन के लिए जनजातीय परामर्शदात्री अपरिषद (टीएसी) की बैठक में सुझाता है।

शहमति तो मिल गयी है, लेकिन वह अंतिम मंत्र नहीं है। श्री तिकी ने कहा कि इस मामले में ज्ञारखण्ड के लोगों और जमीन के जानकार विशेषज्ञ लोगों से भी सुझाव मांगा जाना चाहिए। उरांवने किया जाना चाहिए। इस मामले में सरकार को अनिवार्य रूप से वह ध्यान रखना चाहिए। उरांवने के बाद आधार बनाने के बाद आज सीमा को विकासार्थी अधिकारी खरीद-बिक्री को विकासार्थी अधिनियम द्वारा अनुपालन भी हो सकता है। जिससे इस कानून का व्यापक बदलाव जरूरी है। श्री तिकी ने कहा कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सीएनटी के संदर्भ में किस विधायक ने अपना व्यापक दुरुपयोग ही रहा है और सही अर्थों में कहा जाये तो आदिवासियों के हाथ से जमीन लूटी जा रही है। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बरसों पुराना यह कानून, बदली हुई परिवर्थितियों में कुछेक प्रावधानों के अंतर्गत अप्राप्यता ही चुका है और इस परिवर्धन में अवश्यक संशोधन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, परन्तु इस मामले में दो महत्वपूर्ण फलतुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ना तो वैसै जमीन का व्यापक स्तर पर व्यावसायिक इस्तेमाल हो और एक सीमा से अधिक इसकी खरीद-बिक्री को विकासार्थी अधिकारी अधिनियम द्वारा अनुपालन भी हो सकता है। जिससे इस कानून का व्यापक बदलाव जरूरी है। श्री तिकी ने कहा कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सीएनटी के संदर्भ में किस विधायक ने अपना व्यापक दुरुपयोग ही रहा है और सही अर्थों में कहा जाये तो आदिवासियों के हाथ से जमीन लूटी जा रही है। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बरसों पुराना यह कानून, बदली हुई परिवर्थितियों में कुछेक प्रावधानों के अंतर्गत अप्राप्यता ही चुका है और इस परिवर्धन में अवश्यक संशोधन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, परन्तु इस मामले में दो महत्वपूर्ण फलतुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ना तो वैसै जमीन का व्यापक स्तर पर व्यावसायिक इस्तेमाल हो और एक सीमा से अधिक इसकी खरीद-बिक्री को विकासार्थी अधिकारी अधिनियम द्वारा अनुपालन भी हो सकता है। जिससे इस कानून का व्यापक बदलाव जरूरी है। श्री तिकी ने कहा कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सीएनटी के संदर्भ में किस विधायक ने अपना व्यापक दुरुपयोग ही रहा है और सही अर्थों में कहा जाये तो आदिवासियों के हाथ से जमीन लूटी जा रही है। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बरसों पुराना यह कानून, बदली हुई परिवर्थितियों में कुछेक प्रावधानों के अंतर्गत अप्राप्यता ही चुका है और इस परिवर्धन में अवश्यक संशोधन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, परन्तु इस मामले में दो महत्वपूर्ण फलतुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ना तो वैसै जमीन का व्यापक स्तर पर व्यावसायिक इस्तेमाल हो और एक सीमा से अधिक इसकी खरीद-बिक्री को विकासार्थी अधिकारी अधिनियम द्वारा अनुपालन भी हो सकता है। जिससे इस कानून का व्यापक बदलाव जरूरी है। श्री तिकी ने कहा कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सीएनटी के संदर्भ में किस विधायक ने अपना व्यापक दुरुपयोग ही रहा है और सही अर्थों में कहा जाये तो आदिवासियों के हाथ से जमीन लूटी जा रही है। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बरसों पुराना यह कानून, बदली हुई परिवर्थितियों में कुछेक प्रावधानों के अंतर्गत अप्राप्यता ही चुका है और इस परिवर्धन में अवश्यक संशोधन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, परन्तु इस मामले में दो महत्वपूर्ण फलतुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ना तो वैसै जमीन का व्यापक स्तर पर व्यावसायिक इस्तेमाल हो और एक सीमा से अधिक इसकी खरीद-बिक्री को विकासार्थी अधिकारी अधिनियम द्वारा अनुपालन भी हो सकता है। जिससे इस कानून का व्यापक बदलाव जरूरी है। श्री तिकी ने कहा कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सीएनटी के संदर्भ में किस विधायक ने अपना व्यापक दुरुपयोग ही रहा है और सही अर्थों में कहा जाये तो आदिवासियों के हाथ से जमीन लूटी जा रही है। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बरसों पुराना यह कानून, बदली हुई परिवर्थितियों में कुछेक प्रावधानों के अंतर्गत अप्राप्यता ही चुका है और इस परिवर्धन में अवश्यक संशोधन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, परन्तु इस मामले में दो महत्वपूर्ण फलतुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ना तो वैसै जमीन का व्यापक स्तर पर व्यावसायिक इस्तेमाल हो और एक सीमा से अधिक इसकी खरीद-बिक्री को विकासार्थी अधिकारी अधिनियम द्वारा अनुपालन भी हो सकता है। जिससे इस कानून का व्यापक बदलाव जरूरी है। श्री तिकी ने कहा कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सीएनटी के संदर्भ में किस विधायक ने अपना व्यापक दुरुपयोग ही रहा है और सही अर्थों में कहा जाये तो आदिवासियों के हाथ से जमीन लूटी जा रही है। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बरसों पुराना यह कानून, बदली हुई परिवर्थितियों में कुछेक प्रावधानों के अंतर्गत अप्राप्यता ही चुका है और इस परिवर्धन में अवश्यक संशोधन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, परन्तु इस मामले में दो महत्वपूर्ण फलतुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ना तो

